न्यायालय : राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर

(चम्बल संभाग मुरैना से संबंधित)

प्र.क्र. निग. 47–तीन / 10

रिव्हू–1295–I/12

खारजा तारीख–18.08.11

श्री डी. आर. सेडकर, अभि. द्वारा आज दि. 9-5-12 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मोहम्मद रमजान पुत्र तुफैल मोहम्मद
निवासी–छार बाग, श्योपुर म.प्र.–––**प्रार्थी**

ब ना म्

मु. जमीला तलाकशुदा बेबा तुफैल
मोहम्मद, निवासी–दशहरा मैदान वार्ड
नंबर–4, गंगापुर सिटी, जिला सवाई
माधोपुर राजस्थान ––– **प्रतिप्रार्थी**

रिव्हयू अंतर्गत धारा 51 म.प्र.भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांकी–18.08.11 जो राजस्व मंडल म0प्र0ग्वालियर द्वारा प्र.क्र.– निगरानी 47–तीन / 10 में दिनांक–18.08.11 को पारित किया उससे दुःखित होकर ।

माननीय न्यायालय,

प्रार्थी रमजान की ओर से निम्न प्रकार रिव्हयू पिटीशन प्रस्तुत है :–

1– यहकि, प्रार्थी मोहम्मद रमजान द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के प्र. क्र 226 / 2008–09 अपील में पारित आदेश दिनांक–07.01.10 के विरूद्ध निगरानी माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर में प्रस्तुत की जो प्र.क्र. निगरानी 47–तीन / 10 पर दर्ज की गई तथा उसमें दिनांक–18.08.11 को उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हतो जाने से प्रकरण क्र. निगरानी 47–तीन / 10 को समाप्त किये जाने का आदेश पारित किया गाया है उक्त आधार पर अधिनस्थ न्यायालयों के प्रार्थी द्वारा सन् 2010–2011 के खसरे–पत्र में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु कार्यवाही की गई जिसके संबंध में प्रार्थी को निर्देशित किया गाया कि अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के आदेश दिनांकी–07.01.10 जो प्र.क्र. 226 / 2008–09 अपील में पारित किया गया है उसे निरस्त किये जाने के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकी–18.08.11 में उल्लेख नहीं किया गया है फलतः मौजूदा रिव्हयू प्रस्तुत करना आवश्यक है।

सी.एस.अग्रवाल शपथ आयुक्त ग्वालियर 389 9.5.12

2– यहकि, प्रार्थी द्वारा धारा–5 अवधि विधान का प्रार्थना–पत्र रिव्हयू प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने हेतु साथ में प्रस्तुत कर संलग्न किया है।

समक्ष : न्यायालय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू म.प्र.ग्वालियर

प्र.क्रं. 1294–I / 12 रिव्यू

मोहम्मद रमजान
बनाम
मु.जमीला

राजीनामा आवेदन अंतर्गत धारा 32 म.प्र.भू.राजस्व संहिता

प्रार्थिनी की ओर से निम्न प्रकार राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है:–

1. यह कि प्रतिप्रार्थिनी मु.जमीला को प्रार्थी मो.रमजान की उपरोक्त उल्लेखित रिव्यू के किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिप्रार्थी मु.जमीला से प्रार्थिनी रिव्यू स्वीकार किये जाने की सहमति है।
2. यह कि प्रतिप्रार्थिनी मु.जमीला द्वारा दिनांक 21.07.2011 को स्टाम्प नं. 12840 एवं 12848 स्टाम्प पर मुख्त्यारनामा भी प्रतिप्रार्थिनी की ओर से लिखित में प्रार्थी को दे दिया गया है एवं मुझ प्रतिप्रार्थिनी को रिव्यू स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। मै, रिव्यू क्रमांक 1294–I / 12 को स्वीकार करने में पूर्ण सहमत हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
3. यह कि ग्राम जैदा की भूमि सर्वे क्रमांक 427 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, सर्वे क्रं. 442 रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा, कुल किता 02 कुल रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा है उक्त सम्पूर्ण रकबे को मोहम्मद रमजान पुत्र तुफेल मोहम्मद प्रार्थी के नाम अमल करने का आदेश करने में मुझे व मेरे वारिसान को कोई उज्र आपत्ति नहीं है। इस राजीनामा एवं पूर्व में दिये राजीनामा दिनांक 22.07.11 के आधार पर प्रार्थी के नाम उक्त भूमि को पटवारी खसरे में अमल कराने का आदेश देने की कृपा करे।

अतः प्रार्थना है कि उभयपक्ष के मध्य राजीनामा के आधार पर मौजूदा प्रार्थी की रिव्यू स्वीकार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावें।

दिनांक :–

प्रार्थिया
मु.जमीला तलाकशुदा बेवा तुफैल मोहम्मद, निवासी दशहरा मैदान वार्ड नं. 04 गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधौपुर (राजस्थान)

(12)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक– रिव्यू 1294-I/12

जिला – श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17–12–15	आवेदक मोह0 रमजान अपने अधिवक्ता श्री पवन शर्मा सहित उपस्थित । अनावेदिका जमीला की ओर से अधिवक्ता श्री वीरसिंह जादौन उपस्थित । उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो जाने से मूल प्रकरण स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया था किंतु मूल प्रकरण का निराकरण भूलवश राजीनामा अनुसार न करते हुए प्रकरण समाप्त किया गया है । इस कारण से यह पुनरावलोकन आवेदन पेश किया गया है । अनावेदिका के अधिवक्ता श्री वीरसिंह जादौन द्वारा पुनः राजीनामा आवेदन प्रस्तुत कर कहा गया है कि उभयपक्ष के मध्य प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में राजीनामा हो गया है और उसके अनुसार आवेदक का नाम ग्राम जैदा की प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 427 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा एवं सर्वे नं. 442 रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने में अनावेदिका को कोई आपत्ति नहीं है अतः राजीनामा अनुसार प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम अमल करने के आदेश दिये जायें । 3/ प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा का अवलोकन किया । विचारोपरांत उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामे को स्वीकार करते हुए तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि राजीनामा अनुसार ग्राम जैदा की प्रश्नाधीन भूमि आवेदक का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जाये । यह प्रकरण तद्नुसार निराकृत किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	fm NK 17-12-15